



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265449  
CG-DL-E-14082025-265449

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]  
No. 509]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 553(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 156 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2025 है।  
(2) ये तारीख 1 सितंबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-II के प्ररूप संख्या 7 के पैरा 1 में, “निर्धारण वर्ष ..... के लिए अवधारित की गई.....रुपए की राशि” शब्दों के स्थान पर “,यथास्थिति, निर्धारण वर्ष.....या ब्लाक अवधि..... के लिए अवधारित की गई.....रुपए की राशि” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 132/2025/फा. सं. 370142/34/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

**टिप्पण:-** आयकर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 503(अ), तारीख 28 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th August, 2025

**G.S.R. 553(E).**— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 156 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 1st day of September, 2025.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, in FORM NO. 7, in paragraph 1, for the words “assessment year.....a sum”, the words “assessment year..... or the block period....., as the case may be, a sum” shall be substituted.

[No. 132/2025/F. No. 370142/34/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

**Note:-** The Income-tax Rules, 1962 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 503(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 2025.

